# छत्तीसगढ़ भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा)
शास्त्री चौक, रायपुर (छ0ग0) – 492001
दूरभाष नंबर :– 0771–4918927
Email:- office.rera.cg@gov.in Website:-https://rera.cgstate.gov.in/


क्रमांक– 21 / रेरा / 2018 / 675 रायपुर, दिनाँक 03 / 11 / 2018

## / / परिपत्र / /

**विषय :– प्रकाशित विज्ञापनों आदि में रेरा रजिस्ट्रेशन नंबर एवं वेबसाईट पते का उल्लेख करने के संबंध में।**

–––00–––

छत्तीसगढ़ भू–संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा 11 (2) के अनुसार–प्रमोटर्स द्वारा जारी / प्रकाशित विज्ञापनों या प्रास्पेक्ट्स आदि में संबंधित रियल एस्टेट प्रोजेक्ट के **रेरा रजिस्ट्रेशन नंबर व छत्तीसगढ़ रेरा के वेबसाईट पते** का प्रमुखता से उल्लेख किए जाने का प्रावधान है। प्राधिकरण के संज्ञान में यह तथ्य प्राप्त हुए हैं कि कतिपय प्रमोटर्स द्वारा उक्त प्रावधानों के समुचित रीति से पालन में निरंतर चूक की जा रही है। अतः उपरोक्त प्रावधानों के संबंध में प्रमोटर्स व रियल एस्टेट एजेंट्स का ध्यान आकर्षित करते हुए अधिनियम की धारा–37 के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर प्राधिकरण द्वारा निम्नानुसार निर्देश जारी किए जाते हैं :–

1. प्रमोटर्स द्वारा रियल एस्टेट प्रोजेक्ट के संबंध में जारी / प्रकाशित विज्ञापनों, प्रास्पेक्ट्स या अन्य किसी भी माध्यम से किए जाने वाले विज्ञापनों में संबंधित प्रोजेक्ट के रेरा रजिस्ट्रेशन नंबर व छत्तीसगढ़ रेरा के वेबसाईट पते **https://rera.cgstate.gov.in** का प्रमुखता से उल्लेख किया जावेगा।

2. प्रमोटर्स द्वारा होर्डिंग्स व समाचार–पत्रों के अतिरिक्त एस.एम.एस., पॉम्पलेट्स, विडियो, ऑडियो या अन्य किसी भी रीति व माध्यम से किए जाने वाले विज्ञापनों में इन प्रावधानों का पालन करना अनिवार्य होगा।

3. प्रमोटर्स द्वारा जारी / प्रकाशित विज्ञापनों व प्रास्पेक्ट्स आदि में संबंधित प्रोजेक्ट के रेरा रजिस्ट्रेशन नंबर व वेबसाईट पते का अंकन स्पष्ट, पठनीय व सहज दृष्टव्य होना अपेक्षित है। अतः प्रकाशित विज्ञापनों आदि में इनके Fonts का आकार भी समुचित व पर्याप्त होना चाहिए।

4. प्रमोटर्स की तरह रियल एस्टेट एजेंट्स को भी उनके द्वारा जारी विज्ञापनों, प्रास्पेक्ट्स, प्रचार सामाग्रियों व विजिटिंग कार्डस आदि में स्वयं के रेरा रजिस्ट्रेशन नंबर तथा छत्तीसगढ़ रेरा के वेबसाईट पते का उल्लेख करना अनिवार्य है।

5. यदि रियल एस्टेट एजेंट्स द्वारा स्वयं के साथ–साथ किसी प्रोजेक्ट विशेष का उल्लेख अपने विज्ञापन में किया जाता है, तो उन्हें अपने एजेंट रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ संबंधित रियल एस्टेट प्रोजेक्ट का भी रेरा रजिस्ट्रेशन नंबर उल्लेखित करना अनिवार्य होगा।

**(मान. अध्यक्ष महोदय द्वारा अनुमोदित)**

03.11.18

(अजय कुमार अग्रवाल)
रजिस्ट्रार
छत्तीसगढ़ भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण
रायपुर.